ायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसिया ।
ीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर,आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या – 273 / 2019
प्रार्थीगण :–

1 जोगसिंह पुत्र श्री बगतावरसिंह
जाति राजपूत निवासी बडा कोटेचा खुर्द

तहसील तिवंरी जिला जोधपुर ।

–: ब ना म :–

अप्रार्थीगण :–

1 तुलछ कवंर पत्नि श्री बुधसिंह
2 रूपसिंह पुत्र श्री बुधसिंह फौत जिनके उतराधिकारी
2–(1) भीकसिंह पुत्र श्री रूपसिंह

2–(2) तेजसिंह पुत्र श्री रूपसिंह

2–(3) गवरी कवंर पत्नि श्री रूपसिंह

3 खेतसिंह पुत्र श्री बुधसिंह
4 डुंगरसिंह पुत्र श्री बुधसिंह फौत जिनके उतराधिकारी
4–(1) गोर्धनसिंह पुत्र श्री डुंगरसिंह

4–(2) बाबु कवंर पत्नि श्री डुंगरसिंह

5 नरपतसिंह पुत्र श्री बुधसिंह
6 खींवसिंह पुत्र श्री बुधसिंह
7 छतरसिंह पुत्र श्री बुधसिंह
8 पप्पुसिंह पुत्र श्री बुधसिंह
जाति राजपूत निवासी बडा कोटेचा खुर्द

तहसील तिवंरी जिला जोधपुर ।

9 श्री तहसीलदार साहब, तिवंरी ।

पस्थित –
र्थी की ओर से श्री चन्दनसिंह भाटी एडवोकेट ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:39:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी की ओर से सरकारी पेरोकार ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट.

निर्णय **दिंनाक :–** 06/01/2020

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि तहसील तिवंरी के राजस्व ग्राम बडा कोटेचा की सरहद मे स्थित खसरा नम्बर 18 रकबा 135 बीघा 1 बीस्वा भूमि प्रार्थी व अन्य सह खातेदारो की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि आई हुई है । उपरोक्त वर्णित भूमि के 1/54 हिस्से के अप्रार्थीगण खातेदार थे जिन्होने दिंनाक 31.12.2005 को जरीये रजिस्टर्ड बेचान के दरियाव कवंर पत्नि श्री जोगसिंह को अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान कर दिया । उक्त बेचान नामा के अनुसार राजस्व रेकर्ड मे विधि अनुसार नामान्तकरण भरा जाकर दरियाव कवंर का नाम दर्ज कर दिया लेकिन हल्का पटवारी ने गलती व भूल से अप्रार्थीगण का नाम उक्त भूमि मे पुनः दर्ज कर दिया जो आज तक यथावत जमाबन्दी मे चल रहा है जब कि उक्त भूमि मे अप्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नही है और न ही कोई हक हिस्सा है । उपरोक्त वर्णित भूमि मे अप्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नही है और न ही कोई हक हिस्सा है केवल मात्र राजस्व रेकर्ड मे अप्रार्थीगण के गलत व अनुचित तरीके से नाम दर्ज है । हल्का पटवारी द्वारा उक्त नाम यथावत रखने से आज दिन भी राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है जो एक लिपीकीय भूल व त्रुटी है जिसे प्रार्थी दुरूस्त कराना चाहता है । अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड मे यथावत रहने से प्रार्थी व अन्य सह खातेदारो का हक हिस्सा प्रभावित होता है तथा अपने अपने हक हिस्से का विकाश कार्य करवाने मे कठीनाई होती है जिस कारण से प्रार्थी ने श्री [illegible]ार जी को उक्त दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया तो तहसीलदार [illegible] ने हल्का पटवारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:39:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

से जांच करवाई तत्पश्चात श्री मान को लिखा कि यह मामला न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है इसलिए यह प्रार्थना पत्र श्री मान के समक्ष पेश किया जा रहा है । तहसीलदार द्वारा हल्का पटवारी से जांच करवाई जिसकी फोटो प्रति साथ मे पेश है । उपरोक्त वर्णित भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अप्रार्थीगण के नाम हटाये जाकर अशुद्ध रेकर्ड को शुद्ध व दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है । अन्त मे प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम बडा कोटेचा की सरहद मे स्थित खसरा नम्बर 18 रकबा 135 बीघा 1 बीस्वा भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अप्रार्थीगण के जो नाम गलत दर्ज है उन्हे डिलीट किये जाकर राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त किया जाकर शुद्ध करवाए जाने का आदेश फरमावे । अति कृपा होगी ।

प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी को नोटिश जारी किया गया । अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 कोई उपस्थित नही हुए जिस कारण से उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई । अप्रार्थी की तरफ से सरकारी पैरोकार ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई । सरकारी पेरोकार ने अप्राथी से रिपोर्ट तलब कर न्यायालय मे पेश की जो सामिल पत्रावली की गई । दोनो पक्षो को सुना गया दस्तावेज एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया एंव तहसीलदार की जांच रिपोर्ट एवं उपरोक्त विवेचन व दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाता हूं ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मे वर्णित ग्राम बडा कोटेचा की सरहद मे स्थित खसरा नम्बर 18 रकबा 135 बीघा 1 बिस्वा मे से 1/54 हिस्से के अप्रार्थीगण खातेदार थे जिन्होने दिनांक 31.12.20[illegible] को [illegible] रजिस्टर्ड बेचान के दरियाव कवंर पत्नि श्री जोगसिह को अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:39:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

कर दिया जिसके अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अप्रार्थीगण के नाम गलत दर्ज है जिन्हे डिलिट किये जाकर राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे । पत्रावली फैसल सुमार की जाकर बाद आवश्यकता दाखिल दफ्तर हो ।

सहायक कलेक्टर औसिया

निर्णय आज दिंनाक 06/01/2021 की खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

सहायक कलेक्ट्रर औसिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:39:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner